दिनांक–16.06.2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के आयोजन में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत है:–

- श्री अरविन्द कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।
- श्री मनोज कुमार, सचिव, पंचायती राज विभाग।
- श्री प्रणव कुमार, सचिव, भवन निर्माण विभाग।
- श्री आनन्द शर्मा, जिला पदाधिकारी, मधुबनी।

2. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के आयोजन में किये गये व्यय के संबंध में सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुति दिया गया।

3. ज्ञातव्य हो कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक– 21.03.2025 को प्राप्त ई–मेल के आलोक में दिनांक 24.04.2025 को मधुबनी जिला में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री एवं सभी राज्यों से विशिष्ट अतिथि शामिल हुए थे।

4. उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्थल पर Site Plan के अनुरूप हैलीपैड, जर्मन हैंगर, स्टेज, बैरीकेड, Vip Movement से जुड़े सड़कों का मरम्मत, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, सुरक्षा से संबंधित सभी व्यवस्था की गयी थी। इन व्यवस्थाओं पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अधियाची राशि निम्नवत है:–

क्र0	संबंधित कार्यालय का पत्र संख्या	संबंधित मद का नाम	राशि
1	नजारत उप समाहर्त्ता, मधुबनी का पत्रांक– 445/जि0न0, दि0 17.07.25	वाहन, इंधन एवं अन्य व्यवस्था	29,14,330.00
2	नजारत उप समाहर्त्ता, मधुबनी का पत्रांक– 434/जि0न0, दि0 12.07.25	माननीय/वरीयतम पदाधिकारी के आवासन, भोजनादि, वाहन पार्किंग स्थल पर विभिन्न कार्य।	3,67,866.00
3	नजारत उप समाहर्त्ता, मधुबनी का पत्रांक– 435/जि0न0, दि0 12.07.25	होटल इत्यादि से संबंधित	63,76,134.00
4	नजारत उप समाहर्त्ता, मधुबनी का पत्रांक– 446/जि0न0, दि0 17.07.25	वाहन एवं पेट्रोल पम्प से संबंधित।	59,53,838.00
5	कार्यालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, मधुबनी का पत्रांक– 1406 दिनांक– 12.08.25	कार्यक्रम स्थल पर हैलीपैड इत्यादि कार्य।	15,72,58,491.00
		कुल:–	17,28,70,659.00

5. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त आयोजन में हुये व्यय हेतु 3 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जिसका आवंटन जिला पदाधिकारी, मधुबनी को दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–j-11011/9/025-Media दिनांक 19.05.2026 द्वारा असमर्थता प्रकट की गयी है।

6. विमर्शोपरान्त निदेश दिया गया कि:–

(i) पंचायती राज विभाग के पास संगत शीर्ष में यदि बजट उपलब्ध हो तो मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि जिला पदाधिकारी, मधुबनी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(ii) पंचायती राज विभाग के पास बजट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवश्यक राशि की मांग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अपने पास उपलब्ध बजट से मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर अधियाचित राशि पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेगी।

अंत में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक:–09प० / प्र0 / 08–802(खण्ड) / 2016 / 9558 / पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2026

प्रतिलिपि:–जिला पदाधिकारी, मधुबनी / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधुबनी / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक:–09प० / प्र0 / 08–802(खण्ड) / 2016 / 9558 / पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2026

प्रतिलिपि:– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक / सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक:–09प० / प्र0 / 08–802(खण्ड) / 2016 / 9558 / पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2026

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(मनोज कुमार)
सचिव